

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100388

दिनांक: 11/12/2025

लोक सूचना

श्री **ASHOK SHARMA** पुत्र श्री **SHARVAN KUMAR SHARMA** जाति **BRAHMIN** निवासी **B-10, SCHEME 10B, GOPALPURA BYPASS, JAIPUR, RAJASTHAN 302018**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	भांकरोटा कलां, साँगानेर (जयपुर)	1.) शुभम लैण्डकोन एल एल पी हिस्सा पूर्ण जाति (NA) पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल एस 1 ए श्री गोपाल नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर खातेदार	2500	0.65	0.65
2.	भांकरोटा कलां, साँगानेर (जयपुर)	1.) शुभम लैण्डकोन एल एल पी हिस्सा पूर्ण जाति (NA) पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल एस 1 ए श्री गोपाल नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर खातेदार	2501/1	0.035	0.035
कुल					0.685

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **11-12-2025** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & JALTEDEEP

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

